

बिहार सरकार
अभियोजन निदेशालय
गृह विभाग
ऑफिसर्स फ्लैट सं0 V-5, न्यू पुनाईचक पटना

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा0 प्र0 से0

निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना एवं गया।

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उपशीर्ष-0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं0-22 विपत्र कोड-N2014001140004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि को 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल राशि 2,43,178/- (दो लाख तेतालीस हजार एक सौ अठहत्तर रूपये मात्र) का आवंटन की स्वीकृति।

पटना, दिनांक 20.03.17

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक एम0-04-09/2014, 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं पत्रांक 423 दिनांक 31.03.2016 के आलोक में जिला अभियोजन कार्यालय, पटना एवं शेरघाटी (गया) को तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च, 2017 तक व्यय हेतु मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष -00 लघु शीर्ष- 114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष-0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं0- 22 विपत्र कोड- N2014001140004 के अन्तर्गत प्राप्त बजट उपबंध से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद (06 01) में निम्न राशि आवंटित की जाती है:-

क्र0	जिला का नाम	06-01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति			अभियुक्ति
		पूर्व का आवंटन	वर्तमान का आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6
1	पटना	-	2,02,543/-	2,02,543/-	-
2	शेरघाटी (गया)	-	40,635/-	40,635/-	-
योग			2,43,178/-	2,43,178/-	

कुल 2,43,178/- (दो लाख तेतालीस हजार एक सौ अठहत्तर रूपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 के कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का अनुपालन करना अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय।

3. किसी भी प्रकार के अनियमित, अवैध, नियम विरुद्ध एवं दोहरी निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतएव राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस बात की जांच कर ली जाएगी कि राशि की निकासी वित्तीय नियमावली तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप की जा रही है।

4. आवंटित राशि का संधारण आवंटन पंजी में किया जायेगा।
5. आवंटन आदेश <http://home.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
6. व्यय विवरणी एवं प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2017 तक निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

एम
504470

एम
50470

एम
सं 50-सह-संनिदेश

विश्वामभाजन
निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....243 /
अ0 नि0 (03)-02/2016 (आवंटन)

दिनांक 20.3.17 /

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप सचिव, गृह (आ0) विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को <http://home.bih.nic.in> पर Upload करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला अभियोजन पदाधिकारी, पटना एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

एम
504470

एम
50470

एम
सं 50-सह-संनिदेश

निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।